

सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल

पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है ।
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं है ।)

कौन आवेदन दे सकता है ।

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हों तथा उनके लिए कार्य करते हों । इनमें शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आँगनवाडी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयंसेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) , जो स्वयंसेवा में रुचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार योग्य समझे, आवेदक हो सकते हैं। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयंसेवक, (अधिवक्ता को छोड़कर) पुनः आवेदन दे सकते हैं ।

पाराविधिक स्वयंसेवक के कार्य:-

पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीडितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य , प्राधिकार के प्रबंधन कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य एवं अन्य कोई कार्य , जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सौंपा जाय, को करना है ।

पदों की संख्या:- कुल 150 (एक सौ पचास) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल हेतु 100

(एक सौ) एवं अनुमण्डल विधिक सेवा समिति, बीरपुर (सुपौल) हेतु 50 (पचास) ।

चूंकि पारा विधिक स्वयंसेवकों से गाँव या गाँवों के समूह में कार्य लेना है । अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा ।

आरक्षण:- पाराविधिक स्वयंसेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर नियुक्त नहीं है परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- साक्षर / मैट्रिक उत्तीर्ण, जिन्हें समग्र बोधन क्षमता प्राप्त हो

आवेदक विहित प्रपत्र में पुरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के कार्यालय में हाथो-हाथ या पजीकृत डाक से 12.03.2021 तक भेजे । इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आवेदन के साथ 25/-पच्चीस रुपये का निर्बंधित डाक टिकट लगा स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें । आवेदक अपने आवेदन पर अपना फोन/मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से लिखें । आवेदन का प्रपत्र E-court (District Court) ,Supaul के साईट से भी डाउन लोड कर सकते हैं । आवेदन का प्रपत्र आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के तीन दिनों के पश्चात् अपने साक्षात्कार की तिथि के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखें या सम्पर्क करें ।

मानदेय:- रुपये 500/- (पाँच सौ रूपया मात्र) प्रतिदिन । परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए भुगतान होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य सौंपती है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों में वह सक्रिय भागीदारी निभाता है ।

सामान्य अनुदेश:-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो ।
2. शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।
3. अच्छा चरित्र हो ।
4. समाजसेवा में रुचि रखता हो ।

आवेदन भेजने का पता:-

सचिव,

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,

व्यवहार न्यायालय, सुपौल

अंतिम तिथि:-12.03.2021

प्रपत्र

पाराविधिक स्वयंसेवक के चयन हेतु आवेदन-प्रपत्र

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है । आप किसी स्थाई /
अस्थाई / अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है। जिला विधिक
सेवा प्राधिकार में सहयोग देने हेतु स्वयंसेवक हैं ।)

1. पद का नाम:-

2. आवेदक का नाम:-

3. आवेदक की श्रेणी:- (महिला / पुरुष)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम:-

4. स्थाई पता:-ग्राम.....थाना.....पोस्ट.....

प्रखण्ड.....जिला.....पिन कोड.....

5. वर्तमान पता:-ग्राम.....थाना.....पोस्ट.....

प्रखण्ड.....जिला.....पिन कोड.....

6. शैक्षणिक योग्यता:-

7. अन्य योग्यता/अनुभव

8. जन्म तिथि:-

9. आवेदक का सम्पर्क संख्या:-

10. आवेदक की कोटि:-सामान्य/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य

(प्रमाण-पत्र सलग्न करें)

घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण पुर्णतः सत्य है तथा इसमें किसी प्रकार
की त्रुटी या गलत सूचना का जिम्मेवार मैं स्वयं होऊँगा/होऊँगी ।

तिथि:-

स्थान:-

आवेदक का हस्ताक्षर

स्व अभिप्रमाणित
फोटो